



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1948 (श0)  
(सं0 पटना 1078) पटना सोमवार 7 सितम्बर 2026

सं0सं0 ल0ज0सं0/न0को0/मु0नि0न0यो0-17/2025-5696

लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

सुशांत कुमार, भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-1/9/2026

द्वारा:-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:-

सात निश्चय-2 अन्तर्गत "हर खेत तक सिंचाई का पानी" के अन्तर्गत अनुदान आधारित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत पूर्व से स्वीकृत 35000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु कुल राशि रू0-266.00 करोड़ (दो सौ छियासठ करोड़) मात्र के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु 83.60 करोड़ (तेरासी करोड़ साठ लाख) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-19.08.2026 को संपन्न बैठक में मद संख्या-08 के रूप में सम्मिलित सात निश्चय-2 अन्तर्गत "हर खेत तक सिंचाई का पानी" के अन्तर्गत अनुदान आधारित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत पूर्व से स्वीकृत 35000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु कुल राशि रू0-266.00 करोड़ (दो सौ छियासठ करोड़) मात्र के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु 83.60 करोड़ (तेरासी करोड़ साठ लाख) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. लघु जल संसाधन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-271(न0को0) दिनांक-31.07.2023 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-2864 दिनांक-20.06.2024 (परिशिष्ट-1 एवं 2) द्वारा "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" अन्तर्गत कुल 35,000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु रु0-26600.00 लाख रुपये (दो सौ छियासठ करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित है ।

3. योजना के अत्यन्त उत्साहवर्द्धक परिणामों को दृष्टिपथ में रखते हुए समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि "हर खेत तक सिंचाई का पानी" योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत लगभग 69000 कृषकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें से पूर्व के लक्ष्य के अनुरूप 35000 कृषकों को अनुदान का भुगतान किया जा चुका है, जिससे लगभग 175000 हे0 भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 80.00 करोड़ (अस्सी करोड़) रुपये मात्र का बजट उपबंध प्राप्त है। उक्त बजट से लगभग 11000 कृषकों को अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा। जिससे 55000 हे0 अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

4. वर्णित स्थिति में योजना अंतर्गत निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है -

- (i) पूर्व से अधिष्ठापित 35,000 नलकूपों के अतिरिक्त पोर्टल पर पूर्व से प्राप्त कृषकों के आवेदन में से 11,000 कृषकों के ऑनलाईन दावा प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना अंतर्गत (35000+11000=46000) कुल- 46,000 निजी नलकूपों की उपलब्धि प्राप्त होगी।
- (ii) नलकूपों की संख्या में वृद्धि के कारण पूर्व से स्वीकृत 266.00 करोड़ मात्र के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु 83.60 करोड़ रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
- (iii) योजना के परिचालन में आने वाली कठिनाईयों एवं कार्यान्वयन अनुदेश के संबंध में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किया जा सकेगा।

5. योजना से संबंधित शेष प्रावधान/शर्तें यथावत् रहेगी।

6. उक्त योजना पर होने वाला व्यय मांग संख्या-50 के राज्य योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2702-लघु सिंचाई, उपमुख्य शीर्ष-02- भूजल लघु शीर्ष-016-आर्थिक सहायता, उपशीर्ष-0102, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, विपत्र कोड-50-2702020160102, विस्तृत/विषय शीर्ष-33.01- सब्सिडी, मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0107- मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, विपत्र कोड-50-2702027890107, विस्तृत/विषय शीर्ष-33.01- सब्सिडी के अंतर्गत निर्धारित बजट उपबंध से भारित होगा।

7. योजना के क्रियान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति पर लोक वित्त समिति द्वारा अनुशंसित है।

9. संचिका संख्या-ल0ज0सं0/न0को0/मु0नि0न0यो0-17/2025 के पृ0-36/टि0 पर सक्षम प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) की स्वीकृति प्राप्त है।

10. उक्त संचिका के पृ0-37/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,  
सुशांत कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1078-571+50-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>